**NEERAJ®**

Serving Education for Last 40 Years

# केंद्रीय स्तर पर प्रशासनिक प्रणाली

## (Administrative System at Union Level)

# B.P.A.C.-133

## B.A. General - 3rd Semester

**Chapter Wise Reference Book**
**Including Many Solved Sample Papers**

*Based on*

**C.B.C.S. (Choice Based Credit System) Syllabus of**

# I.G.N.O.U.

**& Various Central, State & Other Open Universities**

By: *Bhavya Gupta*


**NEERAJ PUBLICATIONS**

*(Publishers of Educational Books)*

Retail Sales Office:

1507, First Floor, Nai Sarak, Delhi - 6 | Mob.: 8510009872, 8510009878

E-mail : info@neerajbooks.com Website : www.neerajbooks.com

MRP ₹ 280/-

Published by:

**NEERAJ PUBLICATIONS**

*(Publishers of Educational Books)*

Retail Sales Office: 1507, First Floor, Nai Sarak, Delhi - 6 | Mob.: 8510009872, 8510009878

E-mail : info@neerajbooks.com Website : www.neerajbooks.com

**© Copyright Reserved with the Publishers only.**

***Reprint Edition with Updation of Sample Question Paper Only***

Typesetting by: Competent Computers, Printed at: Novelty Printing Press

*Disclaimer/T&C*

1. *For the best & up-to-date study & results, please prefer the recommended textbooks/study material only.*
2. *This book is just a Guide Book/Reference Book published by NEERAJ PUBLICATIONS based on the suggested syllabus by a particular Board/University.*
3. *These books are prepared by the author for the help, guidance and reference of the student to get an idea of how he/she can study easily in a short time duration. Content matter & Sample answers given in this Book may be Seen as the Guide/Reference Material only. Neither the publisher nor the author or seller will be responsible for any damage or loss due to any mistake, error or discrepancy as we do not claim the Accuracy of these Solutions/Answers. Any Omission or Error is highly regretted though every care has been taken while preparing, printing, composing and proofreading of these Books. As all the Composing, Printing, Publishing and Proof Reading, etc., are done by Human only and chances of Human Error could not be denied. Any mistake, error or discrepancy noted may be brought to the publishers notice which shall be taken care of in the next edition and thereafter as a good gesture by our company he/she would be provided the rectified Book free of cost. Please consult your Teacher/Tutor or refer to the prescribed & recommended study material of the university/board/institute/ Govt. of India Publication or notification if you have any doubts or confusions regarding any information, data, concept, results, etc. before you appear in the exam or Prepare your Assignments before submitting to the University/Board/Institute.*
4. *In case of any dispute whatsoever the maximum anybody can claim against NEERAJ PUBLICATIONS is just for the price of the Book.*
5. *The number of questions in NEERAJ study materials are indicative of general scope and design of the question paper.*
6. *Any type of ONLINE Sale/Resale of "NEERAJ BOOKS" published by "NEERAJ PUBLICATIONS" in Printed Book format (Hard Copy), Soft Copy, E-book on any Website, Web Portals, any Social Media Platforms – Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, LinkedIn etc. and also on any Online Shopping Sites, like – Amazon, Flipkart, eBay, Snapdeal, Meesho, Kindle, etc., is strictly not permitted without prior written permission from NEERAJ PUBLICATIONS. Any such online sale activity of any NEERAJ BOOK in Printed Book format (Hard Copy), Soft Copy, E-book format by an Individual, Company, Dealer, Bookseller, Book Trader or Distributor will be termed as ILLEGAL SALE of NEERAJ BOOKS and will invite legal action against the offenders.*
7. *The User agrees Not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit for any commercial purposes, any portion of these Books without the written permission of the publisher. This book or part thereof cannot be translated or reproduced in any form (except for review or criticism) without the written permission of the publishers.*
8. *All material prewritten or custom written is intended for the sole purpose of research and exemplary purposes only. We encourage you to use our material as a research and study aid only. Plagiarism is a crime, and we condone such behaviour. Please use our material responsibly.*
9. *All matters, terms & disputes are subject to Delhi Jurisdiction only.*

**Get books by Post & Pay Cash on Delivery :**

If you want to Buy NEERAJ BOOKS by post then please order your complete requirement at our Website www.neerajbooks.com where you can select your Required NEERAJ BOOKS after seeing the Details of the Course, Subject, Printed Price & the Cover-pages (Title) of NEERAJ BOOKS.

While placing your Order at our Website www.neerajbooks.com You may also avail the "Special Discount Schemes" being offered at our Official website www.neerajbooks.com.

No need to pay in advance as you may pay "Cash on Delivery" (All The Payment including the Price of the Book & the Postal Charges, etc.) are to be Paid to the Delivery Person at the time when You take the Delivery of the Books & they shall Pass the Value of the Goods to us. We usually dispatch the books Nearly within 2-3 days after we receive your order and it takes Nearly 3-4 days in the postal service to reach your Destination (In total it take nearly 6-7 days).

## *Content*

# केन्द्रीय स्तर पर प्रशासनिक प्रणाली

## (Administrative System at Union Level )

*Question Bank – (Previous Year Solved Question Papers)*


Question Paper—June-2023 (Solved) .......... 1

Question Paper—December-2022 (Solved) .......... 1

Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved) .......... 1

Sample Question Paper–1 (Solved) .......... 1

Sample Question Paper–2 (Solved) .......... 1


| *S.No.* | *Chapterwise Reference Book* | *Page* |
|---|---|---|


**भारतीय प्रशासन का विकास ( Evolution of Indian Administration )**

1. प्राचीन प्रशासन प्रणाली .......... 1
( Ancient Administrative System )

2. मध्यकालीन प्रशासन प्रणाली .......... 10
( Medieval Administrative System )

3. अंग्रेज प्रशासन प्रणाली .......... 22
( British Administrative System )

4. 1947 के पश्चात् भारतीय प्रशासन में निरंतरता एवं परिवर्तन .......... 34
( Continuity and Change in Indian Administration-Post 1947 )

**भारत में संसदीय लोकतंत्र ( Parliamentary Democracy in India )**

5. भारतीय संघवाद .......... 45
( Indian Federalism )

**संस्थागत ढाँचा ( Institutional Framework )**

6. मंत्रिपरिषद सचिवालय .......... 74
( Cabinet Secretariat )

7. केंद्रीय सचिवालय ........ 85
( Central Secretariat )

8. केंद्रीय सेवाएं और अखिल भारतीय सेवाएं ........ 98
( All India and Central Services )

9. प्रशासनिक प्राधिकरण ........ 112
( Administrative Tribunals )

**आयोग ( Commission )**

10. भारत में आयोग ........ 123
( Commission in India )

**नागरिक समाज : अवधारणा व भूमिका ( Concept and Role of Civil Society )**

11. नागरिक समाज संगठन की अवधारणा व भूमिका ........ 140
( Concept and Role of Civil Society )

**नियामकिय निकाय ( Regulatory Commission )**

12. नियामक आयोग ........ 151
( Regulatory Commissions )

■■

# Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

*Published by:*

NEERAJ PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

# QUESTION PAPER

*June – 2023*

*(Solved)*

## केन्द्रीय स्तर पर प्रशासनिक प्रणाली

**( Administrative System at Union Level )**

**B.P.A.C.-133**

*समय : 3 घण्टे ]* *[ अधिकतम अंक : 100*

***नोट :*** *निम्नलिखित में से किन्हीं* ***पाँच*** *प्रश्नों के दीजिए। प्रत्येक भाग से* ***दो*** *प्रश्न अवश्य चुनिए।* ***सभी*** *प्रश्नों के अंक समान हैं।*

भाग-I

**प्रश्न 1. भारतीय प्रशासन को प्रभावित करने वाली अंग्रेजी प्रशासन की विशेषताओं की चर्चा कीजिए।**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-3, पृष्ठ-25, 'अंग्रेजी प्रशासन की विशेषताएं–भारतीय प्रशासन पर प्रभाव'

**प्रश्न 2. 'भारतीय संसद का गठन सर्वोच्च विधायी निकाय के रूप में किया गया है। यह एक बहुआयामी संस्था है, जो विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करती है।' स्पष्ट कीजिए।**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-5, पृष्ठ-48, 'विधायिका'

**प्रश्न 3. प्रधानमंत्री कार्यालय के संगठन, कार्यों और बढ़ते हुए महत्त्व की व्याख्या कीजिए।**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-5, पृष्ठ-54, 'प्रधानमंत्री कार्यालय', 'प्रधानमंत्री का बढ़ता हुआ महत्त्व'

**प्रश्न 4. निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए–**

**( क ) गुप्तकाल में प्रशासनिक प्रणाली**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-1, पृष्ठ-3, 'गुप्तकाल में प्रशासनिक प्रणाली'

**( ख ) जनहित याचिका**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-5, पृष्ठ-56, 'जनहित याचिका'

भाग-II

**प्रश्न 5. सरकारी नीतियों के निष्पादन में सचिवालय और कार्यकारी के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए।**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-6, पृष्ठ-87, 'सचिवालय और कार्यकारी के बीच संबंध'

**प्रश्न 6. प्रशासनिक प्राधिकरणों के गुणों तथा दोषों की चर्चा कीजिए तथा दोषों को कम करने के सुरक्षा उपायों को उजागर कीजिए।**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-9, पृष्ठ-118, प्रश्न 5

**प्रश्न 7. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की संगठनात्मक संरचना, कार्यों तथा गतिविधियों का वर्णन कीजिए।**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-13, पृष्ठ-152, 'भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकारण'

**प्रश्न 8. निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए–**

**( क ) खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण : संगठन और कार्य**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-13, पृष्ठ-154, 'खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.)'

**( ख ) संघ लोक सेवा आयोग : संवैधानिक प्रावधान, संरचना और कार्य**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-10, पृष्ठ-125, 'संघ लोक सेवा आयोग'

■■

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

# QUESTION PAPER

*December – 2022*

*(Solved)*

## केन्द्रीय स्तर पर प्रशासनिक प्रणाली

**( Administrative System at Union Level )**

**B.P.A.C.-133**

*समय : 3 घण्टे ]* *[ अधिकतम अंक : 100*

***नोट :*** *निम्नलिखित में से किन्हीं* ***पाँच*** *प्रश्नों के दीजिए। प्रत्येक भाग से* ***दो*** *प्रश्न अवश्य चुनिए।* ***सभी*** *प्रश्नों के अंक समान हैं।*

भाग - I

**प्रश्न 1. 'गुप्त शासन ने प्रशासन की एक संगठित और विस्तृत प्रणाली विकसित की।' व्याख्या कीजिए।**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-1, पृष्ठ-3, 'गुप्तकाल में प्रशासनिक प्रणाली'

**प्रश्न 2. नागरिक समाज की अवधारणा और भूमिका का परीक्षण कीजिए।**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-11, पृष्ठ-143, प्रश्न 1, पृष्ठ-144, प्रश्न 2

**प्रश्न 3. प्रशासनिक अधिकरणों के गुणों एवं अवगुणों की चर्चा कीजिए।**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-9, पृष्ठ-118, प्रश्न 5

**प्रश्न 4. राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान ( नीति आयोग ) पर एक टिप्पणी लिखिए।**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-10, पृष्ठ-123, 'राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (NITI), पृष्ठ-129, प्रश्न 1

भाग - II

**प्रश्न 5. भारत के सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका और कार्यों की चर्चा कीजिए।**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-5, पृष्ठ-55, 'न्यायपालिका'

**प्रश्न 6. 1947 के पश्चात् भारतीय प्रशासन में निरंतरता और परिवर्तन का संक्षेप में वर्णन कीजिए।**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-4, पृष्ठ-34, 'परिचय', पृष्ठ-35, 'भारतीय प्रशासन में परिवर्तन', पृष्ठ-36, 'विकास एवं कल्याण'

**प्रश्न 7. केन्द्रीय सचिवालय की संगठनात्मक संरचना, भूमिका और कार्यों की व्याख्या कीजिए।**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-7, पृष्ठ-85, 'संगठनात्मक संरचना', पृष्ठ-88, प्रश्न 2

**प्रश्न 8. भारत की विनियामक आयोगों पर एक टिप्पणी लिखिए।**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-12, पृष्ठ-156, प्रश्न 3, पृष्ठ-157, प्रश्न 4, पृष्ठ-158, प्रश्न 5

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

# Sample Preview
# of
# The Chapter

*Published by:*

**NEERAJ**
**PUBLICATIONS**
www.neerajbooks.com

# केंद्रीय स्तर पर प्रशासनिक प्रणाली
## ( Administrative System at Union Level )

## भारतीय प्रशासन का विकास
### ( Evolution of Indian Administration )

## प्राचीन प्रशासन प्रणाली
### ( Ancient Administrative System )

1

### परिचय

सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ही भारतीय प्रशासन का विकास भी हुआ, जिसमें सभी शक्तियां राजा के पास हुआ करती थी। राज्य के सभी कार्य राजा करता था और राजा की सहायता के लिए मंत्रियों की एक परिषद होती थी, अर्थात प्राचीनकाल में राज्य को चलाने की सभी शक्तियां राजा के हाथ में होती थी। इसके पश्चात वैदिककाल आया जिसमें आर्यों को जनजातियों में संगठित किया जाता था। जनजाति के प्रमुख को राजन कहते थे, जिसका मुख्य कार्य जनजातियों को सुरक्षा प्रदान करना होता था। उनकी सहायता के लिए पुरोहित, सेनानी, दूतास, स्पास आदि कई पदाधिकारी होते थे। भारत में मौर्य और गुप्त राजवंशों के साथ ही प्रशासन का एक व्यवस्थित रूप शुरू हुआ। इन दोनों राजवंशों के पास एक बड़ा सरकारी तंत्र हुआ करता था, जो राज्य के कार्यों को संगठित रूप से व्यवस्थित करता था।

### अध्याय का विहंगावलोकन

#### प्राचीन भारतीय प्रशासन का विकास

वेदों में वैदिक युग का वर्णन मिलता है। शुरुआती वैदिक आर्यों को राज्यों के स्थान पर जनजातियों में संगठित किया गया था। इनमें सभा और समिति नामक आदिवासी परिषद हुआ करती थी, जो राजा की गतिविधियों को प्रतिबंधित करती थी। आर्थर लेवेलिन बाशम, जोकि एक प्रसिद्ध सहित इतिहासकार और हिंदुत्ववादी थे, उनका कहना है कि सभा जनजाति के महापुरुषों की बैठक थी और समिति सभी मुक्त जनजातियों के पुरुषों की बैठक हुआ करती थी। इन दो निकायों का काम जनजाति को शासित करना था। उनकी स्वीकृति के बिना राजन सिंहासन नहीं संभाल सकता था। इसके बाद के समय में जनजातियां छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो गई, जिसके अंतर्गत एक पूंजी व्यवस्था और एक अर्ध-विकसित प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी। राजा को मुख्य रूप से राष्ट्र और प्रजा का संरक्षक माना जाता था। इसी समय से वंशानुगत शासन का चलन शुरू हुआ। इस युग में राजा का महत्त्व और नियंत्रण बढ़ता चला गया। राजा की बढ़ती हुई राजनीतिक शक्ति के कारण ही उसका उत्पादक संसाधनों पर नियंत्रण भी बढ़ने लगा। राजा की बढ़ती हुई शक्ति के कारण सभा और समिति की शक्ति में और प्रभाव में कमी आने लगी, जो लोग पहले इच्छा से उपहार दिया करते थे, वह अब आवश्यक शुल्क बन गए थे।

विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं, जैसे राजशाही, कुलीन राज्य तथा आदिवासी सियासतें वैदिक युग के अंत तक उत्पन्न होने लगी थी। वैदिककाल में कृषि प्रमुख आर्थिक कार्य था, उस समय प्रमुखों और पुजारियों को विशेष उपहार दिए जाते थे और वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। मवेशियों का प्रयोग मुद्रा की एक इकाई के रूप में किया जाता था। इस अवधि के दौरान गंगा घाटी में कृषि की आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होती रही। कृषि से संबंधित कार्य अधिक जटिल होने लगे और इसी समय पर लोहे के औजारों के उपयोग का प्रचलन भी हुआ। तांबे कांस्य और सोने के अलावा टिन, शीशा और चांदी इनका भी उपयोग हुआ। इसका उल्लेख वैदिक ग्रंथों में मिलता है। इस युग में शिल्प व्यवसाय में भी बढ़ोतरी हुई जैसे कि बढ़ई, चमड़े का काम, कुम्हार का काम, ज्योतिष, आभूषण, रंजक कार्य और मदिरा बनाने जैसे कार्य। रोमिला थापर के अनुसार वैदिककाल राज्य निर्माण एक अवरुद्ध विकास था, क्योंकि प्रमुख गण ज्यादातर स्वायत्त होते थे और वह अपने अधिशेष धन को भव्य अनुष्ठानों में लगाते थे, राज्य निर्माण में नहीं। वैदिक युग का अंतिम चरण जोकि उपनिषदों की अवधि माना जाता है, वह गंगा घाटी में शहरीकरण की प्रक्रिया का

www.neerajbooks.com



आरंभ माना गया है। इस समय पर जनसंख्या और व्यापारिक गतिविधियों का विकास हुआ, जिससे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन पढ़ने लगे और शहरीकरण के एक नए चरण का आरंभ हुआ। मौर्य वंश की शुरुआत हुई, जिसमें कौटिल्य जैसे विद्वान आए जिन्होंने राज्य कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर लेख लिखे। कौटिल्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक और संरक्षक थे तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय में विद्वान थे। भारतीय प्रशासन प्रणाली के विकास का विवरण कौटिल्य ग्रंथ में मिलता है। मौर्य काल में प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए विकेंद्रीकरण का प्रचलन था। इस समय पर प्रांतों को जिले और जिलों को ग्रामीण और शहरी स्थानीय केंद्रों में विभाजित किया गया था।

## मौर्य प्रशासनिक प्रणाली

मौर्य साम्राज्य के साथ एक नए युग का प्रतिपादन हुआ, क्योंकि इसमें भारत में राजनीतिक एकता और प्रशासनिक एकरूपता आई। मौर्य साम्राज्य चार प्रांतों में बंटा हुआ था, तोसली, उज्जैन सुवर्णागिरी और तक्षशिला। मौर्य राजा की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य ने अपने राज्य में प्रशासन की एक संगठित और विस्तृत प्रणाली का विकास किया था, जिसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन राजा के अधीन होता था। इसके अलावा प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, राज्य प्रशासन, न्याय प्रशासन और सैन्य प्रशासन थे।

### केंद्रीय प्रशासन

मौर्य प्रशासन का सर्वोच्च और संप्रभु अधिकारी राजा हुआ करता था। राजा के पास सर्वोच्च कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियां थी। राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी राजा की ही थी। वह अपने राज्यों के लिए नीतियां बनाता था, जिनका पालन करना सभी अधीनस्थ अधिकारियों का कर्तव्य था। मंत्रियों और शाही प्रशासन के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति भी राज्य द्वारा ही की जाती थी तथा सेना का प्रमुख सेनापति और संपूर्ण सैन्य प्रशासन का शीर्ष भी राजा ही हुआ करता था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य एक हिंदू राज्य था, इसलिए राज्य का सर्वोच्च प्रभुत्व धर्म या कानून को माना जाता था, जिसका संरक्षक राजा को बनाया जाता था। राजा को भी कानूनों को मानना अनिवार्य होता था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होता था, जो उसे सलाह देता था और राजा के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के संचालन में दिशा-निर्देश भी देता था। राज्य में ब्राह्मणों का बहुत महत्त्व था। राजा भी उनकी अवज्ञा नहीं कर सकते थे, वह हमेशा उनका समर्थन करते थे। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अलग-अलग हुआ करती थी, किंतु कुछ निश्चित नहीं थी। आपातकाल के समय में राजा को मंत्रिपरिषद द्वारा बहुमत से लिए गए निर्णय को स्वीकार करना होता था। इसके अलावा शासन को सुसंगठित ढंग से चलाने के लिए नौकरशाही का पालन किया जाता था। संपूर्ण शासन-प्रणाली को विभागों में संगठित किया गया था और प्रत्येक विभाग के लिए एक अधीक्षक को नियुक्त किया गया था, जो उसका संचालन करता था, उसे अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। लिपिक लेखाकार और गुप्तचर यह अध्यक्ष की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते थे। इसके अलावा उच्च अधिकारियों के दो पद होते थे, समाहर्ता और संनिधाता। समाहर्ता पूरे मौर्य साम्राज्य के लिए राजस्व संग्रहित करता था और खर्चे वाले भाग पर भी उसी का नियंत्रण होता था। संनिधाता का कार्य कोषागार और भंडार को संभालना था। इसके अलावा कुछ अन्य अधिकारी भी हुआ करते थे, जैसे कि सेना के मंत्री, मुख्य पुजारी और किले के संरक्षक।

### प्रांतीय प्रशासन

संपूर्ण साम्राज्य को दो भागों में बांटा गया था–

1. राज्य जोकि राजा के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आता था।
2. जागीरदार राज्य।

मौर्य साम्राज्य में जिन राज्यों पर राजा प्रत्यक्ष रूप से शासन करता था, उसे कई प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें जनपद कहा जाता था। अशोक के अधीन पांच प्रांत थे, जिनकी राजधानियां तक्षशिला, उज्जैन, तोसली, सुवर्णागिरी और पाटलिपुत्र थी। हर एक प्रांत को जिलों में बांटा गया था और फिर से हर एक जिले को इकाइयों में बांटा गया था। इन केंद्र शासित मौर्य प्रदेशों के अलावा, जागीरदार राज्य भी थे, जिनके पास अधिक स्वायत्तता थी। प्रांतीय प्रशासन का कार्य भी केंद्रीय प्रशासन की भांति ही था। सम्राट साम्राज्य के मध्य और पूर्वी भागों पर मौर्य शासन किया करते थे तथा अन्य क्षेत्रों पर प्रांतीय राजपाल शासन करते थे। प्रांतीय प्रशासन के दिन-प्रतिदिन के संचालन के कार्यों को संभालना, प्रांतीय राज्यपाल का कार्य था तथा उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे केंद्रीय प्रशासन के साथ महत्त्वपूर्ण विषयों पर सलाह मशवरा करेंगे।

### स्थानीय प्रशासन

जिस प्रकार आज के समय में जिला कलेक्टर हुआ करते है, उस समय 'राजुकस' जिला प्रशासन का प्रभारी हुआ करता था। इनकी सहायता के लिए युक्तास या अधीनस्थ अधिकारी हुआ करते थे। शहरी क्षेत्रों में एक नगर पालिका बोर्ड हुआ करता था, जिसमें तीस सदस्य होते थे। छः समितियां निर्मित की गई थी, जिनमें हर एक में पांच बोर्ड सदस्य हुआ करते थे, यह समितियां शहरों के प्रशासन का संचालन का कार्य संभालती थी। यह समितियां निम्नलिखित थी–

1. औद्योगिक कला समिति,
2. विदेशी समिति,
3. जन्म और मृत्यु के पंजीकरण समिति,
4. व्यापार और वाणिज्य समिति,
5. निर्माताओं के पर्यवेक्षण समिति और
6. उत्पाद और कस्टम शुल्क के संग्रहण समिति।

ग्राम प्रशासन का कार्य ग्रामनी के हाथों में था, जिसके प्रमुख को गोपा कहा जाता था और यह दस से पन्द्रह गांवों का प्रभारी हुआ करता था। गांव में नियमित रूप से जनगणना होती थी, जिसमें अधिकारियों को लोगों को उनकी जातियों और व्यवसायियों के

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com



आधार पर क्रमांकित करना होता था। प्रत्येक घर के जानवरों की गिनती भी होती थी। कस्बों में जनगणना का कार्य नगर पालिका के अधिकारी करते थे। ऐसा मालूम होता है कि जनगणना मौर्य प्रशासन में एक स्थाई संस्था का रूप ले चुकी थी।

**राजस्व प्रशासन**

कौटिल्य ने प्रशासन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए राजकोष पर अधिक जोर दिया, उस समय आय के प्रमुख स्रोत भूमि राजस्व, कराधान और किराए थे। राजस्व का मुख्य स्रोत भू-राजस्व था, जो कि कुल उपज का 1/6 भाग था। इस अनुपात को किसानों की आर्थिक और स्थानीय स्थिति के आधार पर तय किया जाता था। इसके अलावा राज्य के अन्य स्रोत थे, उत्पाद शुल्क, जल कर, वन कर तथा खानों पर लगाया गया कर, मुद्रा कर आदि। एकत्रित किए गए राजस्व का ज्यादातर भाग सेना के वेतन, शाही सरकार के अधिकारियों, दान तथा विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक कार्यों जैसे कि सिंचाई, सड़क निर्माण आदि पर खर्च किया जाता था।

**न्यायिक प्रशासन**

उस समय न्यायपालिका का प्रमुख राजा हुआ करता था, जो कि लोगों की अपील को व्यक्तिगत रूप से सुनता था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था इसलिए हर मामले का हल निकालना राजा के लिए संभव नहीं था। अत: उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी। हालांकि अशोक के शासनकाल के दौरान न्याय प्रणाली में कई प्रकार के सुधार किए गए, उनके शासनकाल में क्षमा भी दी जाती थी। सर्वोच्च न्यायालय जो कि राजधानी में स्थित होते थे, उनके मुख्य न्यायाधीश को धर्मथिंकारिन ने कहा जाता था। इसके अलावा प्रांतीय राजधानियों और जिलों में अमात्य के अधीन अधीनस्थ न्यायालय भी हुआ करते थे। अपराधियों को कई प्रकार के दंड दिए जाते थे, जैसे कि कारावास उत्पीड़न, जुर्माना, व मृत्यु। कौटिल्य व अशोक दोनों के लेखों में जेलों और जेल अधिकारियों के विषय में उल्लेख मिलता है। इसमें किसी निर्दोष को सजा ना देने का भी प्रावधान था। अशोक के शिलालेखों पर कुछ अपराधों के लिए माफी का उल्लेख भी मिलता है।

**सैन्य प्रशासन**

मौर्य सेना सेनापति के नियंत्रण में एक अच्छी संगठित सेना थी, जिसका सर्वोच्च सेनापति राजा था। ग्रीक लेखक प्लिनी लिखते हैं, मौर्य सेना में 600000 पैदल सेना, 30000 घुड़सवार, 9000 हाथी और 8000 रथ हुआ करते थे। 30 सदस्यों का मंडल बना हुआ था, जो युद्ध से संबंधित मामलों पर निगरानी रखता था। यह सदस्य 6 समितियों में प्रत्येक में 5 सदस्यों के रूप में रखे गए थे। इन समितियां द्वारा सेना के निम्नलिखित खंडों का प्रबंधन किया जाता था–

1. नौ-सेना
2. परिवहन और आपूर्ति
3. घुड़सवार सेना
4. पैदल सेना
5. युद्ध रथ
6. युद्ध के हाथी

हर खंड के लिए अध्यक्ष या निरीक्षक हुआ करता था। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक जैसे प्रतिभाशाली प्रशासक हुए हैं। साम्राज्य का प्रशासन विकेंद्रीकृत प्रणाली पर आधारित था तथा प्रशासनिक शक्तियों को प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। इन सभी इकाइयों पर केंद्रीय नियंत्रण रहता था। अशोक ने मौर्य प्रशासनिक प्रणाली में नए विचारों तथा सुधारात्मक कार्यों का आरंभ किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने कार्यकारी विधायिका और न्यायपालिका के कार्यों को सुधारा। उनका रुझान लोक-कल्याण कार्यों में अधिक था, अत: उसके लिए उन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति की, उन्होंने अधिकारियों के एक विशेष वर्ग को नियुक्त किया, जिन का कार्य लोगों की सामग्री और उनके आध्यात्मिक कल्याण की देखभाल करना होता था। यह सभी व्यक्ति उनके द्वारा शुरू किए गए धम्म के सुसमाचार का प्रसार किया करते थे।

## गुप्तकाल में प्रशासनिक प्रणाली

मौर्य साम्राज्य की भांति गुप्तकाल में भी एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था थी। मंडल को प्रशासनिक विभागों में बांटा गया था। गुप्त काल का समय प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है।

**केंद्रीय प्रशासन**

गुप्तकाल में सरकार का स्वरूप एक उदार राजशाही के रूप में था। राजा सर्वोच्च अधिकारी तो था ही साथ ही उसे परमेश्वर महाराजाधिराज और परमभद्राका जैसी उपाधियां दी जाती थी। राजा के पास साम्राज्य को सही ढंग से चलाने के लिए राजनीतिक प्रशासनिक सैन्य और न्यायिक शक्तियां प्राप्त थी। राजा के पास व्यापक शक्तियां प्राप्त होने के बाद भी वह अत्याचारी के रूप में शासन नहीं करता था। राजा के दिन-प्रतिदिन के कर्त्तव्यों के पालन के लिए मंत्रिपरिषद और अन्य कई अधिकारी उसकी सहायता किया करते थे। राजा ही उन्हें सम्मान और उपाधियां प्रदान करते थे। राजा साम्राज्य में सर्व भूमि संरक्षक थे। राजा जन-कल्याण करते थे, लोगों की सुविधा के लिए बांधों का निर्माण करना, न्याय प्रदान करना, करों की वसूली करना, जरूरतमंदों को आश्रय देने जैसे कार्य करते थे। वह कभी भी देशद्रोही नहीं होते थे। सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होता था। परिषद के प्रमुख राज्य के प्रधानमंत्री होते थे, जिन्हें मंत्री मुखिया कहा जाता था। सैन्य, कानून और व्यवस्था के मामलों को अलग-अलग अधिकारियों द्वारा संभाला जाता था। सम्राट अपनी जनता की भलाई के लिए तथा सामाजिक और आर्थिक जीवन से स्वयं को जागरूक रखने के लिए देश का भ्रमण किया करते थे।

www.neerajbooks.com

**प्रांतीय प्रशासन**

प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन प्रणाली की शुरुआत गुप्त राजाओं द्वारा की गई। साम्राज्य को भुक्त विभागों में बांटा गया था और प्रत्येक भुक्ति को एक उपारिका के अंतर्गत रखा जाता था। भुक्तियों को जिलों या विशाया में विभाजित किया गया था, जिसमें एक विशया विशायपति के अंतर्गत आता था। ज्यादातर विशायापति शाही परिवार का एक सदस्य होता था। कार्यपरिषद के प्रतिनिधि उसे उसके कार्यों में सहायता देते थे।

**स्थानीय प्रशासन**

शहर पर एक परिषद द्वारा शासन किया जाता था, जिसके प्रमुख को नगर रक्षक कहा जाता था। यह नगर रक्षक पुरपाल उपारिका का एक अन्य अधिकारी था, उसके अधीन होता था। इसके अलावा एक अन्य अधिकारी अवस्थिका नामक होता था, जो धर्मशालाओं के अधीक्षक का कार्य करता था। पेशेवर वर्ग ने जैसे कि कारीगरों, व्यापारियों और बैंकरों ने अपने स्वयं के संग बनाए हुए थे, जिसका प्रबंधन वह स्वयं करते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसका मुखिया ग्रामिका होता था। गुप्तकाल में ग्रामीण निकाय जैसे पंचायत ग्रामीणों के कल्याण के कार्य करती थी। इन ग्राम पंचायतों में ज्यादातर गांव के मुखिया और बुजुर्ग लोग शामिल होते थे।

**राजस्व प्रशासन**

राजस्व प्रशासन का कार्यभार विनियुकता, राजुका, उपारिका, दशपराधिका तथा ऐसे और भी अधिकारी गण द्वारा संभाला जाता था। राजस्व प्राप्त करने के अट्ठारह स्रोत थे, जिनमें से प्रमुख भू-राजस्व था, जोकि कुल उपज का एक छोटा हिस्सा होता था। इसके अलावा भूमि का पुनर्ग्रहण भी आय का एक मुख्य स्रोत था। राजस्व से प्राप्त आय का बड़ा हिस्सा लोक-कल्याण पर खर्च कर दिया जाता था। इसके अलावा आय के कुछ अन्य स्रोत भी थे, जैसे कि आयकर, सीमा शुल्क, टकसाल शुल्क, वंशानुक्रम कर और उपहार कर। एक अन्य कर भी था, दसापराधा जोकि अपराधियों पर लगाया जाता था। वेतन का भुगतान ज्यादातर भूमि अनुदान के रूप में किया जाता था, जिससे लाभार्थियों को भूमि पर वंशानुगत अधिकार मिले, जो भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी उस पर कोई कर नहीं लगाया जाता था। गुप्त शासकों ने सिंचाई की सुविधाओं में बढ़ोतरी की, जिससे कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई।

**न्यायिक प्रशासन**

कौटिल्य द्वारा अपने लेख में गुप्तकाल की न्यायिक प्रणाली काफी विकसित थी, इस समय में प्रथम बार नागरिक व आपराधिक कानूनों का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया गया। व्यभिचार आपराधिक कानून के अंतर्गत आते थे। राजा न्यायाधीशों और मंत्रियों की मदद लेता था। कारीगरों, व्यापारियों तथा अन्य लोगों के संघों ने अपने स्वयं के कानून निर्मित किए हुए थे। ग्राम सभा न्यायिक प्रणाली के सबसे निचले स्तर पर आती थी, इसमें दो पक्षों के बीच विवादों को निपटाने का कार्य किया जाता था।

**सैन्य प्रशासन**

गुप्त शासक एक बड़ी सेना के अधिकारी थे, उन्होंने अपनी सेना को स्थाई बनाए रखा था। शिलालेखों से पता चलता है कि उस समय प्रमुख सैन्य अधिकारी सेनापति, महासेनापति, बालाधिकृत, महाबालाधिकृत, दंडनयाका, संधिविग्रहिका और महासन्धिविग्रहिका थे। संधि विग्रह का और महा संधि विग्रह का थे। युद्ध के प्रमुख हथियार धनुष, तीर, तलवार, कुल्हाड़ी और भाले हुआ करते थे। सेना के पास सूचना विभाग, घुड़सवार विभाग, हाथी विभाग तथा नौसेना विभाग जैसे चार विभाग होते थे।

**व्यापार और व्यवसाय**

गुप्तकाल में चीन, सीलोन कई यूरोपीय देशों और पूर्व भारतीय द्वीपों के साथ व्यापार की गतिविधियां शुरू हुई, इससे साम्राज्य में आर्थिक व सामाजिक गतिविधियां सुदृढ़ हो गई थी, जिसके कारण नए राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर साम्राज्य का विस्तार किया गया।

## अभ्यास प्रश्न

**प्रश्न 1. मौर्य प्रशासनिक प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।**

**उत्तर**–मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र (आधुनिक पटना) थी। इसके अतिरिक्त साम्राज्य को प्रशासन के लिए चार और प्रांतों में बांटा गया था। पूर्वी भाग की राजधानी तोसली थी तो दक्षिणी भाग की सुवर्णगिरि। इसी प्रकार उत्तरी तथा पश्चिमी भाग की राजधानी क्रमशः तक्षशिला तथा उज्जैन (उज्जयिनी) थी। इसके अतिरिक्त समापा, इशिला तथा कौशाम्बी भी महत्त्वपूर्ण नगर थे। राज्य के प्रांतपालों कुमार होते थे, जो स्थानीय प्रांतों के शासक थे। कुमार की मदद के लिए हर प्रांत में एक मंत्रीपरिषद तथा महामात्य होते थे। प्रांत आगे जिलों में बंटे होते थे। प्रत्येक जिला गाँव के समूहों में बंटा होता था। प्रदेशिक जिला प्रशासन का प्रधान होता था। रज्जुक जमीन को मापने का काम करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गाँव थी, जिसका प्रधान ग्रामिक कहलाता था।

**प्रश्न 2. कौटिल्य द्वारा अपने लेख के प्रशासन का वर्णन किस प्रकार किया क्या? उत्तर विस्तारपूर्वक दें।**

**उत्तर**–कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में नगरों के प्रशासन के बारे में एक पूरा अध्याय लिखा है। विद्वानों का कहना है कि उस समय पाटलिपुत्र तथा अन्य नगरों का प्रशासन इस सिद्धांत के अनुरूप ही रहा होगा। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का शासन एक नगर परिषद द्वारा किया जाता था, जिसमें 30 सदस्य थे। ये तीस सदस्य पाँच-पाँच सदस्यों वाली छः समितियों में बंटे होते थे। प्रत्येक समिति का कुछ निश्चित काम होता था। पहली समिति का काम औद्योगिक तथा कलात्मक उत्पादन से सम्बंधित था। इसका काम वेतन निर्धारित करना तथा मिलावट रोकना भी था। दूसरी समिति पाटलिपुत्र में

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com